न्याय आपके द्वार अभियान 2018
शिविरः— देसूरी
दिनांक :— 21.05.2018

मगाराम **बनाम** राजस्थान सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 37/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु
21.05.2018	वादी उपस्थित। प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी उपस्थित। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि मौजा देसूरी के खसरा 1692/3243 कुल रकबा 1.86 हेक्टर किस्म बा.दो. भूमि स्थित है। उक्त भूमि के बन्दोवस्त से पूर्व खसरा नम्बर 472/1 रकबा 10 बीघा वादी के नाम गत रेकार्ड में दर्ज थी एवं आवंटित भूमि होने से वादी को पुराने खसरा नम्बर 476 मीन रकबा 10 बीघा पर कब्जा सुपुर्द किया गया था। तब से वादी काबिज है। गत खसरा संख्या 472/1 के नवीन खसरा नम्बर 1721 कायम किये गये है, जबकि वादी 476 मीन से बने नये खसरा संख्या 1692/3243 पर सम्वत् 2012 से काबिज है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1692/3243 रकबा 1.60 हेक्टर की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। उपस्थित वादी व तहसीलदार देसूरी को सुना गया। इस प्रकरण को अभिलेखीय स्थिति के अनुसार निर्णित किये जाने का निवेदन किया जाने पर हम इस प्रकरण को अभिलेखीय स्थिति निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। पत्रावली एवं गत एव हांल रेकार्ड का अवलोकन किये जाने पर वादी मगीया पुत्र वेणा सिरवी की बन्दोवस्त से पूर्व रेकार्ड में गत खसरा संख्या 472/1 रकबा 10 बीघा भूमि खतौनी सम्वत् 2030 – 35 में आवंटित होना दर्ज है। पश्चात ना.क. संख्या 1512 के द्वारा उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी हकूक का नामान्तरकरण स्वीकृत होना जाहिर है। गत नक्शें के अवलोकन से वादी को आवंटित भूमि 472/1 की तरमीम नहीं है। अब इस प्रकरण में प्रश्न यह है कि आया आवंटि को गत खसरा नम्बर 472/1 में आवंटित भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1692/3243 ही है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि गत खसरा संख्या 476 मीन. से कायम होना भू—प्रबंध रेकार्ड खसरा पत्रक व मिलान क्षेत्रफल से 476 मीन से कायम होना व राजकीय सिवायचक भूमि ही होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। यदि उक्त आवंटन वादी आवंटि को आवंटित भूमि से अन्यत्र स्थान खसरे का कब्जा सुपुर्द किया गया है। तो इसके लिये वादी कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटित भूमि के स्थान पर काबिज वादग्रस्त भूमि पर आवंटन परिवर्तन करवाने के लिये आवेदन कर सकता था, जबकि आवंटि द्वारा आवंटन नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटन संबंधी समय—समय पर जारी परिपत्रों, निर्देशों के अनुरूप चाराजोई नहीं कर यह वाद बाबत घोषणा प्रस्तुत किया गया है। जो अभिलेखीय स्थिति के अुनसार प्रमाणित नहीं है एवं परिपोषणीय नहीं माना जा सकता। इस वाद के माध्यम से वादी अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। वाद विधि अनुसार वर्जित है। अतः वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी